

न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 32/2016, 34/2016 एवं 33/2016 जिला सीकर

1. प्रभाती लाल दत्तक पुत्र भगतावरा, जाति चमार, निवासी नापावाली तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्त

बनाम

1. पंकज कुमार पुत्र तेजाराम तथाकथित दत्तक पुत्र बोदूराम नाबालिग जरिये माता गुड्डी पत्नी तेजाराम, जाति बलाई, निवासी नापावाली, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान)

रेस्पोंडेंट

2. ग्राम पंचायत नापावाली जरिये सरपंच/ सचिव तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान)

फार्मल रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 11.7.2016 बाबत नामांतरकरण संख्या 50 दिनांक 14.3.1964, 101 दिनांक 19.10.1977 एवं 85 ग्राम पंचायत नापावाली, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्त श्री घीसा लाल कुमावत
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री आर.एस.बुनकर

निर्णय

दिनांक— 12.2.2018

यह तीनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 11.7.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई हैं । तीनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार, कानूनी बिन्दु एवं निर्णय किये जाने वाले तथ्य समान होने के कारण इन तीनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति तीनों पत्रावलियों में रखी जावे । तीनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :-

यह कि ग्राम नापावाली, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 323 रकबा 1.02 हैक्टेयर एवं इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 3/456, 3/457, 3/458, 333, 357 एवं 3 कुल किता 6 कुल रकबा 4.29 हैक्टेयर (16 बीघा 19 बिस्वा) बहिस्सा बराबर बराबर के खातेदार ईसरा व चन्द्रा पि. बींजा, जाति चमार थे । बींजा के ईसरा, चन्द्रा दो पुत्र एवं गोरा एक पुत्री थी तथा ईसरा पुत्र बींजा के एक पुत्र बोदूराम है । चन्द्रा पुत्र बींजा के 5 लडके सूनाराम, छोटूराम, गंगाराम, मूलाराम एवं गुलजारी है । गोरा पुत्री बींजा के एक पुत्र भगतावर था जो लाओलाद फौत हुआ है । प्रकरण में विवादित भूमि में से 1/2 हिस्से के खातेदार चन्द्रा पि. बींजा की विरासत के संबंध में कोई विवाद नहीं है । विवादित भूमि में से 1/2 हिस्से के खातेदार ईसरा पुत्र बींजा के फौत होने पर उसके हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 3/456, 3/457, 3/458, 333, 357 एवं 3 कुल किता 6 कुल रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा का नामांतरकरण संख्या 50 ग्राम पंचायत नापावाली द्वारा दिनांक 14.3.1964 को भगतावरा, बोदू पि. ईसरा हिस्सा 1/2 के नाम स्वीकार किया गया एवं आराजी खसरा नम्बर 323 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा में से 1/2 हिस्से का नामांतरकरण संख्या 101 ग्राम पंचायत नापावाली द्वारा दिनांक 19.10.1977 को बोदूराम पुत्र ईसरा एवं प्रभाती लाल पि.मु. भगतावरा के नाम स्वीकार किया गया । इसके पश्चात् भगतावरा पुत्र ईसरा के फौत होने पर भगतावरा की विरासत का नामांतरकरण संख्या 85 ग्राम पंचायत नापावाली द्वारा अपीलान्त प्रभाती पि.मु. भगतावरा हिस्सा 1/4 के नाम स्वीकार किया गया ।

खातेदार ईसरा की विरासत के नामांतरकरण संख्या 50 दिनांक 14.3.64, नामांतरकरण संख्या 101 दिनांक 19.10.77 एवं भगतावरा की विरासत के नामांतरकरण संख्या 85 के खिलाफ बोदूराम पुत्र ईसरा द्वारा पृथक पृथक तीन अपीलें न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला

सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई , जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.7.2016 द्वारा इस आधार पर स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 50, 85 एवं 101 ग्राम पंचायत नापावाली तहसील नीमकाथाना खातेदार भगतावरा पुत्र ईसरा के हिस्से तक निरस्त किये गये एवं ईसरा पुत्र बीजा तथा बोदू पि. ईसरा की विरासत का नामांतरकरण अपीलार्थी संख्या 2 पंकज कुमार दत्तक पुत्र बोदूराम के पक्ष में भरकर तस्दीक करने के आदेश तहसीलदार नीमकाथाना को दिये गये कि – “नामांतरकरण संख्या 50 दिनांक 14.3.1964 तथा नामांतरकरण संख्या 101 दिनांक 19.10.1977 को इसरा, चन्द्रा पि. बीजा की फौतगी पर भगतावरा , बोदू पि. ईसरा हि. 1/2 तथा सूणा, छोटू, गंगाराम, मूला, गुलझारी चन्द्रा हि.1/2 के नाम दर्ज किया गया है । चन्द्रा की विरासत बाबत कोई विवाद नहीं है । प्रस्तुत दस्तावेजात ग्राम पंचायत माकडो पंचायत समिति बुहाना , झुंझुंनू के प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत मांकडी , पं.समिति नीमकाथाना के प्रमाण पत्र दिनांक 13.7.2010 एवं प्रस्तुत निर्वाचक नामावलियों, जवाब ग्राम पंचायत नापावाली , नीमकाथाना, तथा प्रस्तुत शपथ पत्रों के बखूबी जाहिर होता है कि भगतावरा का पिता लालिम उर्फ सालिम था तथा माता का नाम गौरा था । ईसरा का वारिस एक मात्र अपीलार्थी बोदूराम होना पाया जाता है । इस प्रकार ईसरा की विरासत बिना अपीलान्ट को सुने गलत दर्ज की गई है । अपीलार्थी ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एक्ट एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें विलम्ब के ठोस एवं संतोषजनक कारण अंकित किए गए हैं । हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने भगतावरा को ईसरा का पुत्र मानकर नामांतरकरण तस्दीक कर दिया जो कि कानूनी प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है । इस प्रकार यह नामांतरकरण **Ab-initio-void** (मूलतः अविधिमान्य) की श्रेणी में आता है । जो निर्णय अवैधानिक है तथा ऐसे अवैधानिक एक पक्षीय आदेश के लिये कोई समय सीमा नहीं होती है । हमारा मत है कि एकपक्षीय तथा मूलतः अविधिमान्य आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिये कोई समय सीमा की बाधा नहीं होनी चाहिये तथा अपीलान्ट को ऐसे एक पक्षीय आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में देरी के लिये कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता भी नहीं है । अपीलार्थी को विवादित नामांतरकरण की जानकारी 1972 में बोदू बनाम भगतावरा वाद पत्र दायरी के समय हो चुकी थी परन्तु परिसीमा के मामलों में न्यायालय को लिबरल अप्रोच अपनानी चाहिये । मियाद को तकनीकी बिन्दु के रूप में नहीं देखा जाकर व्यवस्थित न्याय के बिन्दु को केन्द्रित कर देखा जाना चाहिये । मेरी विनम्र राय में कानून की सर्वोपरिता को कायम रखने के लिये मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर उदारता से विचार करना चाहिये केवल मियाद के तकनीकी बिन्दु पर प्रकरण को खारिज नहीं किया जाना चाहिये । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते हैं । रेस्पां. द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण से भिन्न होने पर चस्पा नहीं होने से उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती है । उपर्युक्त विवेचन के आधार पर विवादित नामांतरकरण **Ab-initio-void** होने से परिसीमा से बाधित नहीं हो सकता ।

विवादित नामांतरकरण भगतावरा को ईसरा का पुत्र मानकर बिना सुनवाई के तथा बिना जॉच के भरा जाकर तस्दीक किया गया है तथा नामांतरकरण संख्या 85 में भगतावरा की विरासत रेस्पां. नं. 1 के पक्ष में गलत रूप से दर्ज की गई है क्योंकि प्रभाती लाल तो सूणा लाल का पुत्र है । बिना किसी विधि मान्य दस्तावेज के, बिना जॉच के प्रभातीलाल के विरासत दर्ज की गई है । यह कृत्य तत्कालीन लोक सेवकों द्वारा अपनी लापरवाही या पक्षकारों के साथ मिलीभगत से अपने कर्तव्य का सही निर्वहन नहीं किया गया है । रेस्पां. द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि भगतावरा खातेदार ईसरा का पुत्र कैसे बना है तथा प्रभाती लाल को भगतावरा की विरासत कैसे प्राप्त हुई है ? अपीलान्ट नं. 1 द्वारा अपीलान्ट नं. 2 पंकज कुमार को जरिए रजिस्टर्ड गोदनामा के दत्तक पुत्र लिया गया है । गोदनामा आज भी प्रभावी है । अपीलान्ट नं. 1 के फौत होने पर दत्तक पुत्र पंकज कुमार ही एक मात्र ईसरा व बोदूराम की सम्पत्ति का हकदार होना पाया जाता है । माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नीमकाथाना के आदेश दिनांक 22.3.2013 में मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त सम्पत्ति को किसी प्रकार से अन्तरित नहीं करेंगे किन्तु सम्पत्ति के नामांतरकरण खुलवाने की कार्यवाही में यह आदेश लागू नहीं रहेगा , निर्देशित किया गया है” ।

उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के उक्त निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह पृथक पृथक तीन अपीलें प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना दिनांक 11.7.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

तीनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार ईसरा पुत्र बीजा के फौत होने पर उसके हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 3/456, 3/457, 3/458, 333, 357 एवं 3 कुल किता 6 कुल रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा का नामांतरकरण संख्या 50 ग्रम पंचायत नापावाली द्वारा दिनांक 14.3.1964 को भगतावरा, बोदू पि. ईसरा हिस्सा 1/2 के नाम स्वीकार किया गया एवं आराजी खसरा नम्बर 323 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा में से 1/2 हिस्से का नामांतरकरण संख्या 101 ग्रम पंचायत नापावाली द्वारा दिनांक 19.10.1977 को बोदूराम पुत्र ईसरा एवं प्रभाती लाल पि.मु. भगतावरा के नाम स्वीकार किया गया । इसके पश्चात् भगतावरा पुत्र ईसरा के फौत होने पर भगतावरा की विरासत का नामांतरकरण संख्या 85 ग्रम पंचायत नापावाली द्वारा अपीलान्ट प्रभाती पि.मु. भगतावरा हिस्सा 1/4 के नाम स्वीकार किया गया । अपीलार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है । उनका कहना था कि बोदू पुत्र ईसरा ने विवादित आराजियात के संबंध में ईस्तकरार हक व हुक्म इम्तनाई दवामी का वाद न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष अपीलार्थी के स्वर्गीय दत्तक पिता भगतावरा के विरुद्ध 4.4.72 को प्रस्तुत किया था जिसे नही चलाने के कारण दिनांक 13.3.75 को खारिज करवा लिया । उनका कहना था कि तीनों नामांतरकरणों के खिलाफ बोदूराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलें क्रमशः 46 व 33 वर्ष पश्चात् अप्रत्याशित मियाद बाहर पेश की जो दिनांक 11.7.2016 को आदेश पारित करते हुये स्वीकार कर नामांतरकरण निरस्त किये गये तथा अपीलार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि का नामांतरकरण रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 पंकज कुमार के नाम भरकर तस्दीक करने के आदेश तहसीलदार को दिये गये , जो अनुचित व अवैध होने से निरस्नीय है । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरणों की बोदू को प्रारम्भ से ही जानकारी थी एवं विलम्ब के संबंध कोई ठोस एवं युक्तियुक्त कारण नहीं होने से प्रथमतः अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य थी , लेकिन ऐसा नहीं कर भंयकर कानूनी गलती की है । उनका कहना था कि अपीलान्ट राजस्व अभिलेख में खातेदार काश्तकार अभिलिखित है तथा लगान अदा करता आ रहा है । राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत अब अपीलान्ट की खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील इसी बिन्दु पर खारिज होने योग्य थी, लेकिन इसे नजरन्दाज करते हुये अपीलें स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि बोदू राम द्वारा पंकज कुमार के हक में किये गये गोदनामों को निरस्त कराने का वाद न्यायालय अपर जिला जज नीमकाथाना के समक्ष विचाराधीन है । अधीनस्थ न्यायालय ने केवल बोदूराम को ईसरा का वारिस मानकर भंयर कानूनी त्रुटि की है जबकि भगतावरा भी ईसरा का वारिस व पुत्र था । ईसरा की विरासत का नामांतरकरण 1964 में ग्रम पंचायत द्वारा बाद जाँच व तहकीकात कर बोदू व भगतावरा के नाम स्वीकार किया था । अपीलान्ट प्रभाती लाल, भगतावरा का दत्तक पुत्र है, जो प्रश्नगत आराजी पर काबिज है जिसने आराजी को डवलप करने में काफी खर्चा किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से इतने लम्बे अन्तराल के बाद अपीलान्ट के पिता भगतावरा के हिस्से तक तस्दीक नामांतरकरणों को निरस्त कर ईसरा पुत्र बीजा तथा बोदू पि. ईसरा की विरासत का नामांतरकरण पंकज कुमार दत्तक पुत्र बोदूराम के पक्ष में भरकर तस्दीक करने के आदेश देने में विधिक त्रुटि की है । अतः तीनों अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जावे । अपने कथनों के समर्थन में ए.आई.आर. एस.सी.1998 पेज 2276, आर.बी. जे.(14) 2007 पेज 438, आर.आर.टी.(2) 2010 पेज 801, आर.आर.टी.(1) 2007 पेज 18, आर.आर.टी. (1) 2014 पेज 154, आर.आर.टी.(1) 2015 पेज 232, आर.बी.जे. (16) 2009 पेज 591, आर.बी.जे.(16) 2009 पेज 810, आर.आर.टी.(1) 2003 पेज 647, आर.आर.टी.(2) 2010 पेज 1222 एवं आर.आर.सी. 1992 पेज 39 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार ईसरा का एकमात्र पुत्र बोदू राम था, लेकिन ईसरा की विरासत का नामांतरकरण संख्या 50 ग्रम पंचायत द्वारा भगतावरा एवं बोदू पि. ईसरा के नाम एवं नामांतरकरण संख्या 101 बोदूराम पुत्र ईसरा एवं प्रभाती लाल पि.मु. भगतावरा के नाम तथा भगतावरा की विरासत का नामांतरकरण संख्या 85 प्रभाती लाल पि.मु. भगतावरा के नाम ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक किये गये हैं । जबकि अपीलान्ट प्रभाती लाल के पिता का नाम सूणाराम पुत्र चन्द्रा है एवं भगतावरा विवादित भूमि के

चित्र।

पतिरिक्त संभागीय अधिकारी

चयन

खातेदार बीजा की पुत्री गोरा का लडका है जो लाऔलाद फौत हुआ है । उनका कहना था कि बोदूराम पुत्र ईसरा के कोई संतान नहीं होने से बोदूराम द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 पंकज कुमार पुत्र तेजाराम को उसके पिता एवं प्राकृतिक माता की सहमति से गोद लिया था एवं दिनांक 28.10.2010 को एक गोदनामा तहरीर किया जाकर पंजीकृत कराया था । उनका कहना था कि दिनांक 11.7.2010 को बोदू राम व रेस्पोंडेन्ट अपनी कृषि भूमि पर फसल की जुताई - बुवाई का कार्य कर रहे थे तब अपीलान्ट प्रभाती लाल गालियाँ निकालते हुये आया तथा धमकियाँ देने लगा कि उसने भूमि का नामांतरकरण अपने नाम करवा लिया है । इस पर रेस्पोंडेन्ट द्वारा नामांतरकरण की प्रमाणित प्रति लेकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पृथक पृथक अपीलें प्रस्तुत की थी । अपीलान्ट ने फर्जीयत करते हुये अनुचित तरीके से रेस्पोंडेन्ट की भूमि में अपीलान्ट प्रभाती लाल ने धोखाधडी से अपने आपको भगतावरा का गोद पुत्र अंकित कराकर भगतावर को बोदू राम का भाई अंकित करा कर नामांतरकरण तय कराया है जबकि बोदू राम के वास्तविकता में कोई भाई भगतावर नाम का नहीं था । भगतावर नाऔलाद फौत हुआ है एवं अपीलान्ट प्रभाती लाल पोस्ट आफिस में नौकरी करता था जिसके पिता का नाम सूनाराम है । अपीलान्ट प्रभाती लाल को कभी भी भगतावर नाम के व्यक्ति ने गोद नहीं लिया । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट के दत्तक पिता बोदूराम के पिता ईसरा एवं चन्द्रा दोनों सगे भाई थे । विवादित भूमि में दोनों भाईयों का आधा आधा हिस्सा था । रेस्पोंडेन्ट के दत्तक पिता बोदू राम के पिता ईसरा की बहिन गोरा थी जिसका विवाह जालिम बलाई से हुआ था जिससे भगतावरा पैदा हुआ था । गोरा पुत्री बीजा के पति जालिम की मृत्यु होने पर गोरा ने भूदरमल का चूडा पहन लिया था जिसके बाद गोरा के मूलचन्द पैदा हुआ था । इस प्रकार भगतावर के पिता का नाम जालिम एवं माता का नाम गौरा है, जो ग्राम माकडी के हैं । अपीलार्थी प्रभाती लाल ने फर्जीयत एवं धोखाधडी करके चुपचाप भगतावर का नाम रेस्पोंडेन्ट के दत्तक पिता बोदू राम के भाई के रूप में नामांतरकरण में दर्ज करा लिया । ऐसी स्थिति में प्रश्नगत नामांतरकरण विधि विरुद्ध व एब इनिश्यो वॉर्डेड थे जिनको चुनौती देने के लिये कोई समय सीमा बाधित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.7.2016 में मियाद के संबंध में अपना अभिमत व्यक्त करते हुये प्रश्नगत नामांतरकरणों को **Ab-initio-void** (मूलतः अविधिमान्य) मानते हुये परिसीमा से बाधित नहीं माना है एवं रेस्पोंडेन्ट के दत्तक पिता बोदू राम द्वारा रेस्पोंडेन्ट पंकज कुमार को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा दत्तक पुत्र लिया जाना व गोदनामा आज भी प्रभावी होना मानते हुये प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात तथा अधिवक्तागण द्वारा किये गये तर्क वितर्कों को एवं न्यायिक दृष्टान्तों को ध्यान में रखते हुये रेस्पोंडेन्ट की अपीलें स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 50, 85, 101 ग्राम पंचायत नापावाली तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर खातेदार भगतावरा पुत्र ईसरा के हिस्से तक निरस्त किये गये एवं ईसरा पुत्र बीजा तथा बोदू पि. ईसरा की विरासत के नामांतरकरण रेस्पोंडेन्ट पंकज कुमार दत्तक पुत्र बोदूराम के पक्ष में भर कर तस्दीक करने के आदेश तहसीलदार नीमकाथाना को दिये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपीलाधीन आदेश को यथावत रखते हुये तीनों अपील अपीलान्ट खारिज की जावे । अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1105, ए.आई.आर. 1987 सुप्रिम कोर्ट पेज 1553,, आर.आर.डी. 1998 पेज 319, आर.आर.सी. 1996 पेज 372, आर.आर.सी. 1997 पेज 339, आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 1350, आर.आर.टी. 2009 (1) पेज 468, आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 924, आर.आर.टी. 2008 (2) पेज 936, आर.आर.टी. 2012 (1) पेज 238 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार ईसरा की विरासत के नामांतरकरणों का है । ग्राम पंचायत द्वारा ईसरा की विरासत के नामांतरकरण संख्या 50 भगतावरा, बोदू पि. ईसरा, नामांतरकरण संख्या 101 बोदूराम पुत्र ईसरा, प्रभाती लाल पि.मु. भगतावरा एवं भगतावरा की विरासत का नामांतरकरण संख्या 85 प्रभाती लाल पि.मु. भगतावरा के नाम तस्दीक किये गये हैं । मृतक खातेदार ईसरा के पुत्र बोदू राम व इसके दत्तक पुत्र पंकज कुमार द्वारा उपरोक्त नामांतरकरणों के खिलाफ की गई तीनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.7.2016 द्वारा इस आधार पर स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 50, 85 एवं 101 ग्राम पंचायत नापावाली तहसील नीमकाथाना खातेदार भगतावरा पुत्र ईसरा के हिस्से तक निरस्त किये गये एवं ईसरा पुत्र बीजा तथा बोदू पि. ईसरा की विरासत का नामांतरकरण अपीलार्थी संख्या 2 पंकज कुमार दत्तक पुत्र बोदूराम के पक्ष

में भरकर तस्दीक करने के आदेश तहसीलदार नीमकाथाना को दिये गये हैं । बोदू राम द्वारा पंकज कुमार के हक में रजिस्टर्ड गोदनामा तहरीर किया गया है । उक्त गोदनामों को निरस्त कराने का वाद उनवानी प्रभात बनाम तेजाराम न्यायालय अपर जिला जज नीमकाथाना के समक्ष विचाराधीन है जिसमें दिनांक 22.3.2013 को मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 व 2 को वादग्रस्त सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने बाबत स्थगन आदेश पारित किया हुआ है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलान्त प्रभाती लाल, भगतावरा के दत्तक पुत्र के आधार अधिकार चाहता है एवं रेस्पॉडेन्ट पंकज कुमार, बोदू राम के दत्तक पुत्र के आधार पर अधिकार चाहता है । गोदनामों को निरस्त कराने का वाद उनवानी प्रभात बनाम तेजाराम न्यायालय अपर जिला जज नीमकाथाना के समक्ष विचाराधीन है । दत्तक के संबंध में विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त प्रतिपादित है कि नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में दत्तक का विधि एवं तथ्य का जटिल प्रश्न तय नहीं किया जा सकता । दत्तक के आधार पर अधिकार चाहने वाले व्यक्ति को सक्षम न्यायालय से अपने अधिकार तय कराने चाहिये । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना को प्रश्नगत नामांतरकरण की कार्यवाही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों के नाम से करने के आदेश देने चाहिये थे अन्यथा नामांतरकरण की कार्यवाही सक्षम न्यायालय से अधिकार तय कराने तक स्थगित कर देनी चाहिये थी ताकि पक्षकारों में अनावश्यक मुकमेबाजी न बढे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर अपीलान्त आदेश से प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 50,101 एवं 85 के खिलाफ रेस्पॉडेन्ट पंकज कुमार के दत्तक पिता बोदूराम की अपील स्वीकार करते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण खातेदार भगतावरा पुत्र ईसरा के हिस्से तक निरस्त किये गये एवं तहसीलदार नीमकाथाना को ईसरा पुत्र बीजा तथा बोदू पि. ईसरा की विरासत का नामांतरकरण पंकज कुमार दत्तक पुत्र बोदूराम के पक्ष में भर कर तस्दीक करने के आदेश दिये गये, जो उचित एवं विधिक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । हम समझते हैं कि प्रकरण में दत्तक के संबंध में विधि एवं तथ्य के जटिल प्रश्न नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में तय नहीं हो सकते बल्कि सक्षम न्यायालय से ही तय होंगे । परिणामस्वरूप तीनों अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्त आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना दिनांक 11.7.2016 के पृष्ठ संख्या 6 के द्वितीय पैराग्राफ की लाईन संख्या चार एवं पांच में अंकित आदेश "नामांतरकरण संख्या 50, 85, 101 ग्राम पंचायत नापावाली तहसील नीमकाथाना खातेदार भगतावरा पुत्र ईसरा के हिस्से तक निरस्त किये जाते हैं", को यथावत रखा जाता है एवं लाईन संख्या पांच से आठ में अंकित आदेश "तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि ईसरा पुत्र बीजा तथा बोदू पि. ईसरा की विरासत का नामांतरकरण अपीलार्थी संख्या 2 पंकज कुमार दत्तक पुत्र बोदूराम के पक्ष में भर कर तस्दीक करें", को निरस्त किया जाता है तथा पक्षकारों द्वारा दत्तक के संबंध में सक्षम न्यायालय से अपने अधिकार तय कराये जाने तक के लिये प्रश्नगत नामांतरकरणों की कार्यवाही स्थगित की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर